

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.2 (क) (A-368) अलेसे-1/1428

दिनांक:- 24-12-2025

आदेश

श्री अमन जोरवाल सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1, (लिनक नं. 9274) को वन रक्षक भर्ती परीक्षा, 2022 (पेपर लीक) प्रकरण में प्रकरण संख्या 130/2024 धारा 419, 420, 467, 468, 471 भादस व 66डी आईटी एक्ट व धारा 3,4,6,7,10 राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2022 पुलिस थाना राजतलाब जिला बांसवाडा में दर्ज कर दिनांक 17.12.2025 को 09:20 एएम पर गिरफ्तार किया गया है।

अतः कार्मिक (क-3/शिकायत) विभाग के परिपत्र दिनांक 22.03.2023 के अनुसरण श्री अमन जोरवाल को गिरफ्तार किये 48 घण्टे से अधिक समय होने के फलस्वरूप राजस्थान सिविल सेवायें (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 13(2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए श्री अमन जोरवाल, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 को उनकी गिरफ्तारी दिनांक 17.12.2025 से निलंबित किया जाता है। निलंबन काल में श्री जोरवाल का मुख्यालय कोषालय, नागौर में रहेगा।

श्री अमन जोरवाल, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 को निलम्बन काल में राजस्थान सेवा नियमों के नियम 53 के अन्तर्गत नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय होगा।

(संध्या शर्मा)

निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:- एफ.2 (क) (A-368) अलेसे-1/1428

दिनांक:- 24-12-2025

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1), कोष एवं लेखा विभाग, जयपुर।
3. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, नागौर।
4. श्री अमन जोरवाल, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1, तत्कालीन कार्यालय, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
5. उप निदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने एवं पीआईएस में प्रविष्टी करने हेतु।
6. वरिष्ठ निजी सचिव निदेशक महोदया।
7. जाँच शाखा/एसीआर शाखा/डीपीसी शाखा/पदस्थापन सीट।
8. रक्षित पत्रावली/निजी पत्रावली।

निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

RajKaj Ref No.:
19586186
eSign 2.1

Signed by: Sandhya Sharma
Designation: Director
Location: Jaipur, Rajasthan, IN
Date: 2025-12-24 19:04:37 +05'30'